फर्द अहकाम

...लय Acm Jaipur Ist

जगदीश बनाम सरकार

...संख्या /वर्ष T.I. : 118/2022 /20 ____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/9/24	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश हुयी है। यह प्रा०पत्र, प्रार्थी ने वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश किया है। प्रार्थी ने प्रा०पत्र के चरण संख्या-(13) में विवादित भूमि खसरा नं. 80 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा ग्राम चरणनदी तह०-जयपुर पर अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना की है। विवादित भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। अप्रार्थी सं.-2 ने	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अपने जबाव प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि पूर्व से ही राज्य सरकार की भूमि रही है व आज दिनांक तक राज्य सरकार की भूमि होने की वजह से धारा-54 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की मिल्कियत की भूमि है। प्रार्थी को किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है, इसलिए प्रार्थी का प्रा० पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी सं. 3 लगा० 6 ने अपने जबावदावे में कथन किया है कि उक्त वर्णित विवादित भूमि का इन्द्राज गलती से

फर्द अहकाम

लय — Acm Jaipur 7th

जगदीश बनाम सरकार

दमा संख्या/वर्ष T.E. 118/2022 /20

0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/10/24	जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गया है. उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की भूमि है, यदि कोई निषेधाज्ञा प्रार्थी के हक में जारी की जाती है तो भिन अप्रार्थीगणों (3 लगा० 6) को कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विवादित भूमि खसरा नं. 80 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम चरणनदी, तह० - जयपुर, वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम	

[illegible stamp] जयपुर [illegible]

फर्द अहकाम

न्यायालय A.C.M. Jaipur-I

जगदीश बनाम सरकार

मुकदमा संख्या/वर्ष Ti 118/2022 /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने सशपथ बयान किया है कि उक्त विवादित भूमि पर संवत 2012 के पूर्व से ही प्रार्थी के पूर्वज, काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी ने रिकॉर्ड पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी के पूर्वज बतौर उप-कृषक काबिज-काश्त रहे हैं और अब प्रार्थी स्वयं निरन्तर काबिज-काश्त है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थी सं-2, प्रार्थी को जबरदस्ती बेदखल करता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

न्यायालय Acm Jaipur ई

जगदीश बनाम सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष TC 118/2022 /20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	18/10/24	अतः वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि पर वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। प्रार्थी का प्रा॰पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं-2 को इस आशय से पाबंद किया जाता है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए (without following due process of law) प्रार्थी को विवादित भूमि खसरा नं. 80 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ग्राम चरणनदी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झोटवाड़ा, तहसील-जयपुर में से, मौके से	

जयपुर शहर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		बेदखल नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 18/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible]यक कलक्टर [illegible]पुर [illegible]